कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2018/बांसवाड़ा रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं./ 1909 दिनांक 01/06/22

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer NH Public Work Department, Udaipur for widening/strengthening/ upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage Km. 250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) Section of NH-927A in the state of Rajasthan.

संदर्भ:- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 (प्रस्ताव न. **FP/RJ/ ROAD**/33680/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 3106 दिनांक 10.05.2022 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:–

S.No.	Condition as per the MOEF	Compliance Report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ.2()राज. /2019/1009 दिनांक 16.09.2019 (प्रति संलग्न है) से ग्राम पाटन, तहसील बागीदौरा के खसरा संख्या 832, 832/3003 में 4.99 हैक्टर गैर वनभूमि (Non Forest Land) के वन विभाग के नाम आवंटन कराने के आदेश जारी करवाकर नामांतरण क्रमांक 783 दिनांक 17.09.2019 के द्वारा वन विभाग के नाम नामांतरण करवा दिया गया है (जमाबंदी की प्रति संलग्न है) तथा उक्त गैर वनभूमि दिनांक 17.09.2019 को वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित भी कर दी गई है (चार्ज–रिपोर्ट की प्रति संलग्न है)
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.99 ha. non forest land (a). (Compartment no./Khasra No. Nil, Village-Patan, Tehsil-Bagidora, District-Banswara at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of loacal indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. (b) Non-Forest land has to be transferred & mutated in favour of State Forest Department.	इस हेतु आवश्यक धनराशि रू. 8,18,900 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh. nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है तथा उक्तानुसार गैर वनभूमि वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित कर दी गई है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme for plantation 1000 plants./ha. as per FCA guidlines and the cost fo survey, demarcation and erection of permanenet pillars if reuired on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include approriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	यूजर एजेन्सी द्वारा सीए की राशि 8,18,900 तथा एनपीवी की राशि 31,23,740 कुल–39,42,640 कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

..........P.T.O.

5	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.99 ha. forest area to be diverted under proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidlines issued by the Ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter no. 5-2/ 2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	4.99 हैक्टेयर गैर वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि रू. 31,23,740 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	Additional amout of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Commitee, shall be charged by the State Government from th User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
7	User Agency shall restrict the feelling of tress to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	यूजर एजेन्सी को जारी की गई कार्यानुमति अनुसार न्यूनतम 139 वृक्षों का पातन ही करवाया गया है।
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPAfund only through e-portal (http://@parivesh.nic./)	सैद्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 4 व 5 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू. 8,18,900 एवं वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय धनराशि रू. 31,23,740 कुल धनराशि रू. 39,42,640 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal(http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करवाई गई है तथा वृक्षों के मूल्य हेतु देय धनराशि रू. 11,15,852 उपवन संरक्षक, बांसवाडा के निर्धारित खाता संख्या 689901701496 में जरिये UTR No. P19091814163522 दिनांक 18.09.2019 जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि हेतु वांछित दस्तावेज इस पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be eusured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	मूल FRA प्रमाण पत्र मय कार्यवाही विवरण के संलग्न है।
10	User Agency shall be raise strip plantation on both sides and central varge of the road as per the IRC norms.	उक्त परियोजना Two-lane with paved shoulder की होने से नियमानुसार सडक मार्ग पर के मध्य का भाग (Median) नहीं छोडा गया है, जिसके कारण central verge में वृक्षारोपण की कोई गुंजाइश (Scope) नहीं है। इसके अलावा सडक मार्ग के दोनों ओर यथा स्थान ROW की उपलब्धता के अनुसार IRC Norms के अन्तर्गत Strip Plantation का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण करवा दिया गया है।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	उक्त परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

घर-घर औषधि योजना

12	The layout plan of the proposal shall no be changed without prior approval of central Government.	परियोजना के निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही करवाया गया है। परियोजना के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक कैंप स्थापित नहीं किया गया है।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasin the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान नियोजित श्रमिकों एवं स्टाफ हेतु संवेदक के स्तर पर गैर वनभूमि में अस्थाई डिपो स्थापित किया जा कर वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था विधिक स्त्रोतों से ही की गई है। ईंधन हेतु वनभूमि से कोई लकडी उपयोग में नहीं ली गई है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	परियोजना के निर्माण का कार्य प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित निर्देशांकों (Cordinates) के अनुसार धरातल पर निशानदेही करवाने के उपरान्त हीं संपादित करवाया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	परियोजना के निर्माण का कार्य आवागमन हेतु पूर्व से उपयोग में लिए जा रहे सडक मार्ग के अंतर्गत ही करवाया जाना प्रस्तावित था जिसके कारण उक्त कार्य के संपादन हेतु किसी भी अन्य अतिरिक्त मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं होने से स्वाभाविक रूप से उक्त शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।
17	The period of diversion under this approval shall be he co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त की पालना हेतु यूजर एजेन्सी भलि प्रकार अवगत होकर सहमत एवं वचनबद्ध है। जिसकी वचनबद्धता संलग्न है।
18	The forest land shall not be he used for any purpose oter than the specified in that project proposal.	User Agency has not violated any of the condition. In priciple sanction (undertaking attaced)
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018.	भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त की पालना हेतु यूजर एजेन्सी भलि प्रकार अवगत होकर सहमत एवं वचनबद्ध है। जिसकी वचनबद्धता संलग्न है।
22	No violation certificate from concerened DFO shall be provided.	भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
23	Compliance of clause 11.2 of FCA guidlines shall be ensured and in no case, forest land shall be used for non-forestry purpose till final approval is granted.	परियोजना के निर्माण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.14( ) 2018 / बांसवाडा रोडस / एफसीए / प्रमुवंस / 3775 दिनांक 25.09. 2019 के द्वारा प्रदान की गई सशर्त कार्यानुमति के अनुसरण में ही सम्पादित करवाया गया है।

24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic./).	निर्देशानुसार वांछित पालना प्रतिवेदन e-portal पर अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रति में संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि एक प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2018 / बांसवाड़ा रोड़स / एफसीए / प्रमुवसं. / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.रा. खण्ड–बांसवाड़ा।

(ख्याति माथुर)
मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2018 / बांसवाड़ा रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं / 3775 दिनांक 25.9.19

कार्यालय–आदेश

जिला बांसवाड़ा एवं वनमण्डल बांसवाड़ा में Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, NH, Public Work Department, Udaipur for widening/ strengthening/ upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage km.250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) section of NH-927A के निर्माण हेतु **4.99 है0** वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8 बी / राज / 06 / 18 / 2019 / एफसी / 288 दिनांक 03.09.2019 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने जरिये अपने पत्रांक 11–306 / 2014– एफसी दि. 7.5.15 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 52 / 2015 के संदर्भ में दि. 13.3.2015 को जारी आदेश के कम में दिये गये निदेशों एवं संशोधित दिशा निर्देश दि. 28.8.15 के अनुसार लिनियर प्रोजेक्ट हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि जमा करवायी गयी है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर, उसका वन विभाग के पक्ष में अमल–दरामद किया जा चुका हो, उसमें राज्य सरकार के स्तर से कुछ शर्तोधीन वनभूमि मे कार्य करने की अनुमति तथा परियोजना से प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना हेतु वांछित **4.99 है0** वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शर्तों की पालना हेतु यूजर एजेंसी द्वारा समस्त आवश्यक राशि तदर्थ केम्पा में जमा करवा दी गई है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 7.5.15 एवं 28.8.15 तथा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12.5.15 के कम में परियोजना हेतु आवश्यक **4.99 है0** वनभूमि के कार्य प्रारम्भ करने एवं प्रस्तावानुसार कुल **262 वृक्षों** के पातन की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण PWD (NH) द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार ही उक्त राजमार्ग के निर्माण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. उक्त कार्य से प्रभावित वनक्षेत्र में आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम वृक्षों का तथा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित **262 वृक्षों** का ही पातन किया जावेगा।
3. वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन एंव कठोर निगरानी में कराया जायेगा।
4. वृक्षों के कटान से प्राप्त लकडी मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर द्वारा स्थापित अरथाई डिपो पर प्रयोक्ता अभिकरण PWD (NH) द्वारा जमा करवायी जावेगी।
5. परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि / क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
7. वनभूमि पर मजदूरों आदि के लिएं किसी भी प्रकार का कैंप आदि नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग अथवा वैधानिक संस्था से वैकल्पिक ईंधन का कय करके मजदूरों इत्यादि को उपलब्ध करायेगा।
9. यह कार्यानुमति आदेश, आदेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा।

(दीपक भटनागर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

......PIO

E/: Office documents /a

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel. no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक : एफ 5 ()/मुवसं/वसू/2022–23/ 3106 दिनांक : 10/5/2022

निमित्

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer NH Public Work Department, Udaipur for widening/strengthening/ upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage Km. 250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) Section of NH-927A in the state of Rajasthan.

प्रसंग:- वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 एवं उप वन संरक्षक बासवाडा कार्यालय के पत्र क्रमांक 2539 दिनांक 28.04.2022 के क्रम मे।

(प्रस्ताव न.FP/RJ/ ROAD/33680/2018)

FCA
754
19/5/22

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा 4.99 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

A
20/5/22
DCF(FCA)

S.No.	Condition as per the MOEF	Compliance Report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या–1 की पालना के अन्तर्गत, वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने के आशय से यह कार्यालय भली प्रकार अवगत होकर शर्त की पालना हेतु सहमत एवं वचनबद्ध है। वनभूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति वन विभाग का ही रहेगा हमारे द्वारा इसकी वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	शर्त संख्या–2 की पालना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ.2()राज./2019/1009 दिनाक 16.09. 2019 (प्रति संलग्न है) से ग्राम पाटन, तहसील बागीदौरा के खसरा संख्या 832, 832/3003 में 4.99 हैक्टर गैर वनभूमि (Non Forest Land) के वन विभाग के नाम आवंटन कराने के आदेश जारी करवाकर नामांतरण क्रमांक 783 दिनांक 17.09.2019 के द्वारा वन विभाग के नाम नामांतरण करवा दिया गया है (जमाबंदी की प्रति संलग्न है) तथा उक्त गैर वनभूमि दिनांक 17.09.2019 को वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित भी कर दी गई है (चार्ज–रिपोर्ट की प्रति संलग्न है)
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.99 ha. non forest land (a). (Compartment no./Khasra No. Nil, Village-Patan, Tehsil-Bagidora, District-Banswara at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of loacal indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. (b) Non-Forest land has to be transferred & mutated in favour of State Forest Department.	शर्त संख्या–3 की पालना के अन्तर्गत गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के द्वारा करवाया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवश्यक धनराशि रू. 8,18,900 केम्पा के निर्धारित खाते मे e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है तथा उक्तानुसार गैर वनभूमि वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित कर दी गई है।

4	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme for plantation 1000 plants./ha. as per FCA guidlines and the cost fo survey, demarcation and erection of permanenet pillars if reuired on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include approriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त संख्या–4 की पालना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के स्तर से करवाया जाना अपेक्षित है।
5	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.99 ha. forest area to be diverted under proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidlines issued by the Ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter no. 5-2/ 2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	शर्त संख्या–5 की पालना के अन्तर्गत 4.99 हैक्टेयर गैर वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि रू. 31,23,740 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है।
6	Additional amout of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Commitee, shall be charged by the State Government from th User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त संख्या–6 की पालना के अन्तर्गत एन.पी.वी. की दरों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित होने पर यदि दरों में कोई वृद्धि होती है तो तदनुसार देय अंतर राशि वन विभाग को मांग अनुसार जमा करवाए जाने हेतु यह कार्यालय पूर्णतया सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
7	User Agency shall restrict the feelling of tress to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त संख्या–7 की पालना के अन्तर्गत मौके का दोबारा सर्वे कराए जाने पर पातन हेतु पूर्व में सूचीबद्ध किए गए 262 वृक्षों के स्थान पर रास्ता में 139 वृक्षों के ही पातन की आवश्यकता होने से सूची वन विभाग को प्रस्तुत कर तदनुसार न्यूनतम आवश्यक केवल 139 वृक्षों का ही पातन करवाया गया है।
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPAfund only through e-portal (http://@parivesh.nic./)	शर्त संख्या–8 की पालना के अन्तर्गत सैद्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 4 व 5 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू. 8,18,900 एवं वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय धनराशि रू. 31,23,740 कुल धनराशि रू. 39,42,640 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करवाई गई है तथा वृक्षों के मूल्य हेतु देय धनराशि रू. 11,15,852 उपवन संरक्षक, बांसवाडा के निर्धारित खाता संख्या 689901701496 में जरिये UTR No. P19091814163522 दिनांक 18.09.2019 जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि हेतु वांछित दस्तावेज इस पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be eusured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त संख्या–9 की पालना के अन्तर्गत निवेदन है कि परियोजना निर्माण के अन्तर्गत सडक चौडीकरण का कार्य वनभूमि में पूर्व से निर्मित मुख्य सडक मार्ग पर ही किया गया है। यह सडक मार्ग आवागमन का एक मुख्य मार्ग होने के कारण इसके दोनों ओर के किनारों की तरफ प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई न्युनतम वनभूमि में कोई भी कब्जा नहीं होने से प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य में किसी भी दावेदार द्वारा कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं निर्माण

		कार्य निर्विवाद रूप से संपादित हुआ है। फिर भी प्रचलित नियमों/आदेशों की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्र (FRA) श्रीमान् जिला कलक्टर, बांसवाडा के पत्र क्रमांक F2 ( ) राजस्व/2021/2275 दिनांक 23.12.2021 को जारी किया जा चुका है, जो संलग्न है।
10	User Agency shall be raise strip plantation on both sides and central varge of the road as per the IRC norms.	**शर्त संख्या–10 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि उक्त परियोजना Two-lane with paved shoulder की होने से नियमानुसार सडक मार्ग पर के मध्य का भाग (Median) नहीं छोडा गया है, जिसके कारण central verge में वृक्षारोपण की कोई गुंजाइश (Scope) नहीं है। इसके अलावा सडक मार्ग के दोनों ओर यथा स्थान ROW की उपलब्धता के अनुसार IRC Norms के अन्तर्गत Strip Plantation का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण करवा दिया गया है।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	**शर्त संख्या–11 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
12	The layout plan of the proposal shall no be changed without prior approval of central Government.	**शर्त संख्या–12 की पालना के अन्तर्गत** परियोजना के निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही करवाया गया है। परियोजना के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त संख्या–13 की पालना के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक कैंप स्थापित नही किया गया है।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasin the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	**शर्त संख्या–14 की पालना के अन्तर्गत** उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान नियोजित श्रमिकों एवं स्टाफ हेतु संवेदक के स्तर पर गैर वनभूमि में अस्थाई डिपो स्थापित किया जा कर वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था विधिक स्त्रोतों से ही की गई है। ईंधन हेतु वनभूमि से कोई गिरी पडी सूखी लकडी उपयोग में नहीं ली गई है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या–15 की पालना के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण का कार्य प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित निर्देशांकों (Cordinates) के अनुसार धरातल पर निशानदेही करवाने के उपरान्त हीं संपादित करवाया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	**शर्त संख्या–16 की पालना के अन्तर्गत** निवेदन है कि परियोजना के निर्माण का कार्य आवागमन हेतु पूर्व से उपयोग में लिए जा रहे सडक मार्ग के अंतर्गत ही करवाया जाना प्रस्तावित था जिसके कारण उक्त कार्य के संपादन हेतु किसी भी अन्य अतिरिक्त मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं होने से स्वाभाविक रूप से उक्त शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।
17	The period of diversion under this approval shall be he co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या–17 की पालना के अन्तर्गत के आशय से यह कार्यालय भली प्रकार अवगत होकर शर्त की पालना हेतु सहमत एवं वचनबद्ध है।

18	The forest land shall not be he used for any purpose oter than the specified in that project proposal.	User Agency has not violated any of the condition. In priciple sanction (undertaking attaced)
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त संख्या–19 की पालना के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018.	शर्त संख्या–20 की पालना के अन्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त संख्या–21 की पालना के अन्तर्गत की पालना हेतु यह कार्यालय भली प्रकार अवगत होकर सहमत एवं वचनबद्ध है।
22	No violation certificate from concerened DFO shall be provided.	शर्त संख्या–22 की पालना के अन्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
23	Compliance of clause 11.2 of FCA guidlines shall be ensured and in no case, forest land shall be used for non-forestry purpose till final approval is granted.	शर्त संख्या–23 की पालना के अन्तर्गत निवेदन है कि परियोजना के निर्माण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.14( ) 2018/बांसवाडा एफसीए/प्रमुवंस/3775 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा प्रदान की गई सशर्त कार्यानुमति के अनुसरण में ही सम्पादित करवाया गया है।
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic./).	शर्त संख्या–24 की पालना के अन्तर्गत निवेदन है कि निर्देशानुसार वांछित पालना प्रतिवेदन e-portal पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियो में)

भवदीय,

(आर के सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

क्रमांक : एफ 5 ( )/मुवसं/वसृ/2022–23/ 3107-08
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

दिनांक : 10/5/2022

1. उप वन संरक्षक बांसवाडा।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बांसवाडा।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) एफसीए/उवसं/2022/ दिनांकः–

निमित्त,
मुख्य वन संरक्षक,
बांसवाडा।

विषयः- Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer NH Public Work Department, Udaipur for widening/strengthening/ upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage Km. 250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) Section of NH-927A in the state of Rajasthan.

प्रसंगः- वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, (मध्य) क्षेत्र लखनउ के पत्रांक 8बी/राज./06/18/2019/एफ.सी./288 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा 4.99 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालना प्रतिवेदन यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 18.02.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, तद्नुसार प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

S.No.	Condition as per the MOEF	Compliance Report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने के आशय से यूजर एजेन्सी भली प्रकार अवगत होकर शर्त की पालना हेतु सहमत एवं वचनबद्ध है। वनभूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति वन विभाग का ही रहेगा यूजर एजेन्सी द्वारा इसकी वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	इस कार्यालय के द्वारा यूजर एजेन्सी को वन भूमि का हस्तान्तरण परियोजना हेतु आवश्यक गैर वनभूमि कि अवाप्ति की कार्यवाही पुर्ण होने के पश्चात ही किया गया है। प्रस्ताव अनुसार वनभूमि एवं गैर वनभूमि में परियोजना निर्माण का कार्य पुर्ण हो चुका है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.99 ha. non forest land (a). (Compartment no./Khasra No. Nil, Village-Patan, Tehsil-Bagidora, District-Banswara at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of loacal indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. (b) Non-Forest land has to be transferred & mutated in favour of State Forest Department.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ.2()राज. /2019/1009 दिनांक 16.09.2019 (प्रति संलग्न है) से ग्राम पाटन, तहसील बागीदौरा के खसरा संख्या 832, 832/3003 में वन विभाग को आवण्टित 4.99 हैक्टर गैर वनभूमि (Non Forest Land) वन विभाग के नाम नामान्तरित हो चुकी है, जिसका नामान्तरण क्रमांक 783 दिनांक 17.09.2019 है (नामान्तरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है)। उक्त गैर वनभूमि दिनांक 17.09.2019 को वन विभाग को विधिवत रूप से हस्तांतरित कर दी गई है (चार्ज–रिपोर्ट की प्रति संलग्न है), जिस पर कैम्पा योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य भी करवाया जा चुका है।

Cont...2

एफ.सी.ए.
[illegible] 18/05

755
19/5/22

A
[illegible]
20/5/22
DCF(FCA)

4	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme for plantation 1000 plants./ha. as per FCA guidlines and the cost fo survey, demarcation and erection of permanenet pillars if reuired on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include approriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उपरोक्तानुसार यूजर एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करवायी जा चुकी है एवं विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में इस गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य कैम्पा योजनान्तर्गत सम्पादित भी करवाया जा चुका है।
5	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.99 ha. forest area to be diverted under proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidlines issued by the Ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter no. 5-2/ 2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	यूजर एजेन्सी द्वारा 4.99 हैक्टेयर गैर वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि रू. 31,23,740 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करा दी गई है।
6	Additional amout of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Commitee, shall be charged by the State Government from th User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	एन.पी.वी. की दरों के संबंध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित होने पर यदि दरों में कोई वृद्धि होती है तो तदनुसार देय अंतर राशि वन विभाग को मांग अनुसार जमा करवाए जाने हेतु यूजर एजेन्सी पूर्णतया सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
7	User Agency shall restrict the feelling of tress to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	मौके का दोबारा सर्वे कराए जाने पर पातन हेतु पूर्व में सूचीबद्ध किए गए 262 वृक्षों के स्थान पर वास्तव में 139 वृक्षों के ही पातन की आवश्यकता होने से तदनुसार न्यूनतम आवश्यक केवल 139 वृक्षों का ही पातन करवाया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPAfund only through e-portal (http://@parivesh.nic./)	सैद्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 4 व 5 के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू. 8,18,900 एवं वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय धनराशि रू. 31,23,740 सहित कुल धनराशि रू. 39,42,640 केम्पा के निर्धारित खाते में e-portal (http://@parivesh.nic./) के माध्यम से जमा करवाई गई है तथा वृक्षों के मूल्य हेतु देय धनराशि रू. 11,15,852 इस कार्यालय के निर्धारित खाता संख्या 689901701496 में जरिये UTR No. P19091814163522 दिनांक 18.09.2019 जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि हेतु वांछित दस्तावेज इस पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be eusured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रचलित नियमों/आदेशों की पालना में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्र (FRA) जिला कलक्टर, बांसवाडा के पत्र क्रमांक F2 ( ) राजस्व/2021/2275 दिनांक 23.12.2021 को जारी किया जा चुका है, जो कि संलग्न प्रस्तुत है।

Cont...3

10	User Agency shall be raise strip plantation on both sides and central varge of the road as per the IRC norms.	उक्त परियोजना Two-lane with paved shoulder की होने से नियमानुसार सडक मार्ग पर के मध्य का भाग (Median) नहीं छोडा गया हैं, जिसके कारण central verge में वृक्षारोपण की कोई गुंजाइश (Scope) नहीं है। इसके अलावा सडक मार्ग के दोनों ओर यथा स्थान ROW की उपलब्धता के अनुसार IRC Norms के अन्तर्गत Strip Plantation का कार्य यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ण करवा दिया गया है।
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत करवाये अनुसार उक्त परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
12	The layout plan of the proposal shall no be changed without prior approval of central Government.	परियोजना के निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही करवाया गया है। परियोजना के ले–आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक कैंप स्थापित नहीं किया गया है।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasin the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान नियोजित श्रमिकों एवं स्टाफ हेतु संवेदक के स्तर पर गैर वनभूमि में अस्थाई डिपो स्थापित किया जा कर वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था विधिक स्त्रोतों से ही की गई है। ईंधन हेतु वनभूमि से कोई गिरी पडी सूखी लकडी उपयोग में नहीं ली गई है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	परियोजना के निर्माण का कार्य प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित निर्देशांकों (Cordinates) के अनुसार धरातल पर निशानदेही करवाने के उपरान्त हीं संपादित करवाया गया है। शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	परियोजना के निर्माण का कार्य आवागमन हेतु पूर्व से उपयोग में लिए जा रहे सडक मार्ग के ROW के अंतर्गत ही करवाया जाना प्रस्तावित था जिसके कारण उक्त कार्य के संपादन हेतु किसी भी अन्य अतिरिक्त मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं होने से स्वाभाविक रूप से उक्त शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।
17	The period of diversion under this approval shall be he co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त की पालना हेतु यूजर एजेन्सी भली प्रकार अवगत होकर सहमत एवं वचनबद्ध हैं, इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
18	The forest land shall not be he used for any purpose other than the specified in that project proposal.	User Agency has not violated any of the condition In principle sanction.(undertaking Attached)

Cont.....4

19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29-01-2018.	यूजर एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
21	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	पालना हेतु यूजर एजेन्सी भली प्रकार अवगत होकर सहमत एवं वचनबद्ध है, इस आशय का वचनबद्धता–पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
22	No violation certificate from concerened DFO shall be provided.	वांछित प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
23	Compliance of clause 11.2 of FCA guidlines shall be ensured and in no case, forest land shall be used for non-forestry purpose till final approval is granted.	यूजर एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.14 ( ) 2018/बांसवाडा रोडस/एफसीए/प्रमुवंस/3775 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा प्रदान की गई सशर्त कार्यानुमति के अनुसरण में ही सम्पादित करवाया गया है।
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic./).	निर्देशानुसार वांछित पालना प्रतिवेदन यूजर एजेन्सी द्वारा e-portal पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरिकिशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) एफसीए/उवसं/2022/ 2539-41 दिनांकः– 28-04-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि., रा.रा.मार्ग, खण्ड–बांसवाड़ा।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा